उत्तर प्रदेश शासन

वित्त संसाधन (सामान्य) अनुभाग

संख्या-1/2024/आर0जी0-77/दस-2024-01(आयोग)/2022

लखनऊ::दिनांक 15 जनवरी, 2024

<u>अधिसूचना</u>

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-243(आई) तथा 243(वाई) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल छठे राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय) का गठन करते हुए श्री दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव, वित्त को आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं। आयोग निर्धारित अवधि में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

आज्ञा से तथा राज्यपाल उ0प्र0 के नाम से

दुर्गा शंकर मिश्र

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

2-प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3-निबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, प्रयागराज।

4-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

5-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

6-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

7-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

8-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in